न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
पीठासीन अधिकारी – श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 03/2021/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 05.01.2021	तारीख फैसला 02.01.2024

उनवान

1– गोपाल पुत्र छीतर चमार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
2– मोहन पुत्र किशना चमार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
3– मु. संतोषी पत्नी जगदीश चन्द्र चमार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– छोटूलाल पुत्र मानाराम चमार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
2– पन्ना पुत्र किशना चमार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
3– रामा पुत्र देवा चमार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
4– हरकू पुत्र देवा चमार निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
5– मैनेजर, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा
6– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 ए0

उपस्थिति – श्री अनिल शर्मा :– अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी सं. 2744 रकबा 0.20 है0 ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के खाता सं. 532 में स्थित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित उक्त कृषि आराजी के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित उक्त आराजी 2744 में आने जाने के लिए व जमीन को काश्त करने के लिए कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु आराजी सं. 2742 विपक्षी सं. 3 व 4 की आराजी के उत्तरी मेर से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए आराजी सं. 2743 के कोने में प्रवेश करते हुए स्वयं की आराजी नं. 2744 में जाते है। आराजी सं. 2743 प्रार्थी मोहन के भी हक हिस्से में है इसलिए मोहन को विपक्षी नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 02 में बताये उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु मौके पर कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। विपक्षी छोटू चमार विपक्षी सं. 2, 3 एवं 4 की आराजी तब जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण के साथ आये दिन रास्ते बाबत विवाद करते है। प्रार्थीगण को आते जाते समय व कृषि उपकरण लाते ले जाते समय गाली गलौच करते है। प्रार्थीगण अपनी स्वयं की आराजी नं. 2744 पर आने जाने एवं फसल काश्त करने हेतु बैल गाड़ी ट्रेक्टर, हल कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 15 फीट चौड़ा जो कि नक्शे की प्रतिलिपि में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया है इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी जमीन को काश्त करने के लिए डी.एल.सी. रेट से नया रास्ता लेना चाहते है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित आराजी में जाने जाने हेतु व फसल काश्त करने हेतु उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ते लेने हेतु प्रार्थीगण खातेदारों ने आपसी सहमति से रास्ता लेने

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

का प्रयास किया किन्तु सफल नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसकी ताईद में शपथ पत्र भी पेश है। अतः श्रीमान के निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी नम्बर 2744 पर पहुंचने हेतु आराजी नम्बर 2742 की उत्तरी मेर से होते हुए अराजी नं. 2743 के कोने से होते हुए प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतु 15 फीट नया चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान कर उक्त रास्ते का इन्द्राज जमाबंदी में करते हुए नक्शे में भी स्थायी रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 02.02.2021 को विपक्षी सं. 02 के अतिरिक्त समस्त विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। विपक्षी सं. 01 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाशचन्द्र सुवालका ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 08.02.2021 को विपक्षीगण सं. 3, 4, 5 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 26.02.2021 को विपक्षी सं. 02 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त किन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ जिसके विरूद्ध दिनांक 02.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 16.02.2022 को तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 740 से मौका रिपोर्ट/डीएलसी रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण दिनांक 02.08.2022 को वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 05.06.2023 को अभिभाषक विपक्षी सं. 1 छोटूलाल द्वारा विपक्षी की तरफ से हिदायत पैरवी नहीं करने हेतु लिखा गया। जिससे विपक्षी सं. 1 विरूद्ध एकतफा कार्यवाही की गयी। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से मौका रिपोर्ट खुलासा नहीं होने से पुनः बिन्दुवार रिपोर्ट मांगवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को पत्र लिखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 27.06.2023 को प्रार्थीगण सं. 1, 3 की ओर से अभिभाषक श्री अनिल शर्मा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अभिभाषक श्री अक्षयराज रेबारी द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सं. 02 मोहन की मृत्यु होना अवगत कराया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. के प्रस्तुत किया एवं प्रार्थी के विधिक वारिसान की ओर से अधिकार पत्र भी प्रस्तुत किया जिस पर भी अभिभाषक श्री अक्षयराज रेबारी द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। दिनांक 01.08.2023 को अभिभाषक श्री अनिल शर्मा द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रस्तुत अधिकार पत्र अभिभाषक श्री अक्षयराज रेबारी द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं किये जाने से स्वीकार किये गये। एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद होने से स्वीकार किया गया। प्रस्तुत संशोधित शीर्षक को रेकार्ड पर लिया गया। प्रकरण बईतजार बिन्दुवार मौका रिपोर्ट के नियत किया गया। दिनांक 22.08.2023 को अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वांछित रास्ते के संबंध में प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट में श्रीमान द्वारा चाही गयी बिन्दुवार रिपोर्ट के तथ्य उपलब्ध है। अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता रिपोर्ट अनुसार ही रास्ता दिलाने की कृपा करावें। रास्ते हेतु वांछित डी.एल.सी. दर से राशि जमा कराने हेतु प्रार्थीगण तैयार है। प्रकरण वास्ते आदेश के नियत किया गया। दिनांक 02. 01.2023 को अभिभाषक प्रार्थीगण ने पुनः बहस के निवेदन किया जिस पर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गयी। बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु रास्ते को विपक्षीगण सं. 1 लगायत 4 द्वारा बाधित कर दिया है। प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंच हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है एवं रास्ता अत्यन्त आवश्यक है। एवं रास्ते के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट एवं डी.एल.सी. रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार रिपोर्ट में भी प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना अंकित किया गया है एवं प्रस्तावित रास्ता ही लघुत्तम रास्ता होन भी मौका रिपोर्ट में अंकित है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

बहस पर मनन, प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 2744 में आने जाने हेतु रास्ता आराजी नम्बर 2639 से होकर आराजी नम्बर 2742 की उत्तरी मेडत्र से होकर आराजी नम्बर 2743 के कोने से होकर पहुंचना अंकित किया है। जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद किया जाना एवं उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना तथा लघुत्तम रास्ता यही होना बताया है। प्रस्तावित रास्ता नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। अतः तहसीलदार/भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी को

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं भूमि की डीएलसी अनुसार मालियत के संबध में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर पहुंच हेतु निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिया जाना है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग फीट में	रकबा वर्ग फीट में	रकबा है0 में	डीएलसी अनुसार भूमि की मालियत को रास्ते हेतु दुगना करने पर राशि
1.	रामा पुत्र देवा 1/2 हरकू पिता देवा 1/2 चमार सादेह	2742	0.23	216 × 13	2808	0.0264	11841.00
2.	छोटूलाल पिता मानाराम 1/2 पन्ना पिता किशना 1/4 मोहन पिता किशना 1/4	2743	0.20	13 × 13	169	0.0016	1315.00
							13156.00

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कादीसहना प0म0 कादीसहना तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी 2744 तक पहुंचने हेतु विपक्षी सं0 03 एवं 04 की आराजी सं0 2742 रकबा 0.23 है0 में से 216 फीट लम्बा × 13 फीट चौड़ा रास्ता हेतु 0.0264 है0 भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि **11841/— रूपये** एवं विपक्षीगण सं0 1 तथा 2 की खातेदारी की आराजी 2743 रकबा 0.20 है0 में से 13 फीट लम्बा × 13 फीट चौड़ा रास्ता हेतु 0.0016 है0 भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि **1315/— रूपये** बनते है इस प्रकार कुल राशि **13156/— रूपये अक्षरे तेरह हजार एक सो छप्पन रूपये** उक्त सूची अनुसार संबंधित काश्तकार को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 02.01.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

प्रतिलिपि :—

तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ।
संलग्न :— नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा